2015 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 4–क का संशोधन ।

2015 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2015 है ।

धारा 4–क का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4–क की उपधारा (1) में, "आबकारी एवं कराधान आयुक्त", शब्दों के स्थान पर " सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा" शब्द रखें जाएंगे ।

अधिप्रमाणित

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4–क के अधीन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, सड़क द्वारा वहन के लिए, माल का विक्रय करने या प्रेषण कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारा 3 के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है । हर बार नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजने पड़ते हैं । क्योंकि यह एक अविरत प्रक्रिया है इसलिए नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बजाए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त और जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को सशक्त करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है । इससे नए व्यौहारियों को जिला मुख्यालय पर अपने मामलों का परिनिर्धारण कराना सुकर हो जाएगा और उन्हें आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राधिकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रकाश चौधरी)
प्रभारी मन्त्री ।

अधिप्रमाणित
मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश

शिमला :
तारीख : 25/8/2015

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

अधिप्रमाणित

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश

(प्रकाश चौधरी)
प्रभारी मन्त्री ।

(डॉ० बलदेव सिंह)
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख : 25/08/2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

4–क. विक्रय या प्रेषण कारित करने या प्राधिकृत करने हेतु सड़क द्वारा माल का वहन करने वाले व्यक्ति द्वारा कर का संग्रहण.–(1) धारा 4 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सड़क द्वारा वहन के लिए, माल का विक्रय करने या क्रय करने या प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति विहित रीति में, यथास्थिति, यान्त्रिक यान या छकड़ा जिसमें या जिस पर माल वहन किया जाना है, के प्रभारी व्यक्ति से या परिवहन या वहन के दौरान माल के प्रभारी व्यक्ति से, धारा 3 के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण करेगा और ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति, विहित रीति में, उसको सरकारी कोष में संदत करेगा ।

(2) ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, यांत्रिक यान या छकड़ा जिसमें या जिस पर माल वहन किया गया है, के प्रभारी व्यक्ति या परिवहन या वहन के दौरान माल के प्रभारी व्यक्ति को, प्रमाण–पत्र जारी करेगा और प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर, अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, उपधाराओं (1) और (2) के किसी या सभी उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो कराधायक प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश करेगा कि ऐसा व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन संदेय कर की रकम से दोगुना से अनधिक, शास्ति के तौर पर संदत्त करेगा ।

(4) धारा 11 के उपबन्ध, संदेय कर की किसी रकम और या अधिरोपित किसी शास्ति किन्तु जो इस धारा के अधीन जमा नहीं की गई हो, की वसूली के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO 18 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4-A.

Bill No. 18 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2015.

Amendment of section 4-A.

2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, in sub-section (1), for the words "Excise and Taxation Commissioner", the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district" shall be substituted.

authenticated

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act,1999, every person selling or causing or authorizing to cause dispatch of goods for carriage by road, duly authorized by the Excise and Taxation Commissioner, is required to collect the amount of tax payable under section 3. Every time the cases for authorization of new dealers have to be sent to the Excise and Taxation Commissioner. Since this is an ongoing process, therefore, it is considered just and reasonable to empower the Assistant Excise and Taxation Commissioner and Excise and Taxation Officer Incharge of the district, to authorize new dealers instead of Excise and Taxation Commissioner. This will facilitate the new dealers to get their cases settled at the district headquarters and they will not be required to get authorization from the Excise and Taxation Commissioner. This has necessitated amendment in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

authenticated

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश

(PRAKASH CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The. 25/8/2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

authenticated

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश

(PRAKASH CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Secretary (Law).

SHIMLA:
The..25./.8./2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) ACT, 1999 (ACT NO. 16 OF 1999) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section:

4-A. Collection of tax by a person selling or causing or authorising to cause dispatch of goods for carriage by road .-(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 4, a person selling or causing or authorising to cause dispatch of goods for carriage by roads duly authorised by the State Government, by notification shall, in the prescribed manner, collect the amount of tax payable under section 3 from the person Incharge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are to be carried or the person Incharge of the goods during transport or carriage, as the case may be, and the person making such collection shall, in the prescribed manner, make payment of the same into the Government Treasury.

(2) The person making such collection shall issue a certificate in the prescribed manner, to the person Incharge or the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are carried or the person Incharge of the goods during tranport or carriage, as the case may be, and, on the production of the certificate, no tax shall be payable under section 4 of the Act.

(3) If any person contravenes any or all of the provisions of sub-sections (1) and (2), Taxing Authority shall, after giving an opprotunity of being heard, by an order, in writing, direct that such person shall pay be way of penalty not exceeding twice the amount of tax paybale under sub-section (1).

(4) The provisions of section 11 shall mutatis mutandis apply for recovery of any amount of tax payable and/or any penalty imposed but not deposited under this section.